न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– रघुनाथ, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या 11/2019 तारीख रजु 05–03–19

उनवान

1–रामू पुत्र गोना जाति कोली निवासी जस्टाना तहसील व जिला सवाई माधोपुर

–प्रार्थी

बनाम

1–रामस्वरूप पुत्र पन्ना जाति बैरवा निवासी लहसोडा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2–तहसीलदार सवाई माधोपुर लैण्ड होल्डर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण

1–श्री घनश्याम योगी –प्रार्थी की ओर से
2– श्री रविन्द्र सिंह राजावत –अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक: 14-11-19

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने बाके ग्राम लहसोडा तहसील सवाई माधोपुर में स्थित आराजी ख0 नं0 1439 रकबा 1.66है0 किस्म बारानी अव्वल में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर 1/2 हिस्सा बंशी पुत्र औकार बैरवा से दक्षिण दिशा की ओर का खरीद किया था , राजस्व जमाबंदी सम्वत 2070 सें 2073 के खाता संख्या 486 मं स्थित आराजी ख0 नं0 1439 के 1/2 हिस्से में प्रार्थी के नाम का इन्द्राज है । विपक्षी प्रार्थी के कब्जे कास्त की भूमि में बिना किसी अधिकार के व्यवधान पैदा करने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट का प्रस्तुत कर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज़ रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर विपक्षी की ओर से दिनांक 5–8–19 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए इस तथ्य को स्वीकार किया की प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार होने के साथ साथ दक्षिणी हिस्से की बजाय दत्तरी हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा होना स्वीकार किया है एवं यह तथ्य भी दर्ज किया है कि प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर दिगर व्यक्तियों का कब्जा है ।

वकील् उभय पक्षो की बहस सुनी गई । प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखो का गहनता से अवलोकन किया गया । एवं उभय पक्षो अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत दली व बहस पर मनन किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व जमाबंदी में अंकित विवादित भूमि ख0नं0 1439 रकबा 1.66 है0 मे से 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार कास्तकार है । एवं 1/2 हिस्से का खातेदार अप्रार्थी के नाम दर्ज है । दौराने बहस विवादित भूमि पर दक्षिणी व उत्तरी हिस्से पर कब्जा होना साबित नही होने से यह तथ्य दौराने साक्ष्य से ही साबित होना सम्भव होगा । वादीपत्र के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । क्योकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के तीनो बिन्दुओ को प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है । प्रार्थी की विवादित भूमि वाके ग्राम लहसोडा में स्थित है का 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार होने के कारण प्राईमाफेसी केस पूर्ण रूप से साबित होने के कारण अप्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित कृषि भूि ख0 नं0 1439 रकबा 1.66है0 में से प्रार्थी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त भूमि में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करें । अगर दोराने वाद पत्र अप्रार्थी ने प्रार्थी को विवादित भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि में व्यवधान पैदा किया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावनाओ को मध्य नजर रखते हुए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में पूर्ण रूप से साबित होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम लहसोडा तहसील सवाई माधोपुर में स्थित विवादित कृषि भूमि 1439 रकबा 1.66 है0 मे से प्रार्थी के 1/2 हिस्से के कब्जे कास्त की कृषि भूमि दक्षिण दिशा की ओर स्थित है के कब्जे कास्त में किसी तरह की बाधा न तो स्वयं करे ,न ही अन्य से करावे'।

निर्णय आज दिनांक 14–11–19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल वाद पत्र के संलग्न रहे ।

(रघुनाथ)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raghunath
Date: 2019.12.26 11:30:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: